

अधिसूचना

संख्या-

दिनांक-.....2012

Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 की धारा 43A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार एतद् द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), बिहार, पटना को एक व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं किसी भवन, वाहन अथवा स्थान की तलाशी के प्रयोजनार्थ, उक्त अधिनियम के अधीन एक सशक्त पदाधिकारी अभिहित करती है।

2. यह तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

बिहार, पटना

संचिका संख्या-ए/विविध-(53)-12/2012-7743 दिनांक-29/8/2012 द्वारा अधिरूचित आदेश का निम्नलिखित अंग्रेजी भाषा में अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा :-

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 43A of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 the State Government of Bihar is pleased to designate the Inspector General of Police (Operations), Bihar Patna an empowered officer for the purpose of arrest of a person and search of the building conveyance or place under the said Act.

2. This shall be applicable with immediate effect.

By order of the Governor of Bihar

sd/-

(Amir Subhani)

Principal Secretary

to the Govt. of Bihar, Patna

Memo no.-A/Misc.-(53)-12/2012-7743 Patna, Date:-29/8/2012

Copy to:-Director General of Police, Bihar/ All Additional Director Generals of Police, Bihar/All Inspector Generals of Police, Bihar/All Deputy Inspector Generals of Police, Bihar/A District Magistrates, Bihar/All Senior Superintendents of Police, Bihar & All Superintendents of Police, Bihar for information and necessary action.

(Amir Subhani)

Principal Secretary

to the Govt. of Bihar, Patna

ज्ञापक 2367 / एक्स०पी०  
XP-2-11-16-11

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

दिनांक:- 10/9/2012

प्रतिलिपि:-

सभी अपर पुलिस महानिदेशक / सभी पुलिस महानिरीक्षक / सभी पुलिस उप-महानिरीक्षक / सभी पुलिस अधीक्षक (रेलवे सहित) सभी समादेश्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),  
बिहार, पटना।